राजस्थान सरकार
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग राजस्थान
हैण्डलूम हवेली, अशोक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर
वेबसाईट : rscdrc.food.rajasthan.gov.in, मेल आई.डी. raj-sforum@nic.in, दूरभाष 0141–2372237

क्रमांकः– एफ 19 /सा.प्र./रा.आ./ 03 **दिनांकः– 05.01.2022**

आदेश

राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.7(1)गृह–7 / 2021 दिनांक 02.01.2022 द्वारा कोविड़–19 के ओमिक्रोन वेरियन्ट के अत्यधिक संक्रामक होने तथा कोरोना महामारी के बढते हुयें मामलों को दृष्टिगत् रखते हुए दिनांक 29.12.2021 के आदेश के क्रम में **अतिरिक्त सतर्क–सावधान जन–अनुशासन दिशा–निर्देश** प्रदान किये गये है।

अतः निर्देशानुसार, कोरोना वायरस (कोविड–19) के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए व प्रभावी नियंत्रण हेतु पूर्व में जारी निर्देशों के अधिक्रमण (Supersession) में राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर एवं सर्किट बैंच जोधपुर तथा जिला आयोग– जयपुर प्रथम / द्वितीय / तृतीय / चतुर्थ एवं जिला आयोग– जोधपुर प्रथम / द्वितीय हेतु **दिनांक 06.01.2022 से दिनांक 14.01.2022** तक के लिए **नियत प्रकरणों की सुनवाई वीड़ियो कान्फ्रेसिंग (Video Conferencing) माध्यम से की जाएगी।**

1. सभी प्रकरणों की सुनवाई वीड़ियो कान्फ्रेसिंग (वी.सी.) माध्यम से यथा– व्हाटसअप, जिट्सी से की जायेगी। वर्चुअल सुनवाई से संबंधित दिशा–निर्देश पूर्व से ही राज्य आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध हैं।
2. वीड़ियो कॉन्फ्रेसिंग हेतु मीटिंग नंम्बर संबंधित अधिवक्तागण को आयोग के डेटाबेस में उपलब्ध उनके मोबाइल नम्बर पर एस.एम.एस. या व्हाटसअप मैसेज के जरिये प्रेषित किये जायेंगे।
3. प्रकरणों की आगामी सुनवाई की दिनांक कॉन्फोनेट पर अविलम्ब अपडेट की जायेगी तथा नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जायेगी।
4. राज्य आयोग के किसी सदस्य, कर्मचारी अथवा उनके साथ निवास करने वाले परिवार के किसी सदस्य को कोरोना से संबंधित सामान्य लक्षण दिखाई देने पर अथवा उनकी कोरोना जाँच रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर वे इस तथ्य की सूचना जरिये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम अविलम्ब कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे तथा **केन्द्र व राज्य सरकार की कोरोना गाईडलाईन की पूर्ण रूप से पालना सुनिश्चित करेंगे।**
5. विधि प्रशिक्षु का राज्य आयोग में प्रवेश पूर्णतया निषेध रहेगा।

(अनीश दाधीच)
रजिस्ट्रार

क्रमांकः– एफ 19 /सा.प्र./रा.आ./ 04–12 **दिनांकः– 05.01.2022**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सहायक, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर।
2. माननीय सदस्यगण, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर।
3. निजी सहायक, पंजीयक, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर।
4. प्रभारी अधिकारी, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर सर्किट बैंच जोधपुर
5. उप पंजीयक, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर।
6. अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ एवं जोधपुर प्रथम/द्वितीय, राजस्थान।
7. अध्यक्ष बार एसोसियेशन, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर।
8. प्रभारी, कम्प्यूटर शाखा, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं वी.सी. के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. अन्य संबंधित।

(रजिस्ट्रार)